रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 371] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 1969/कार्तिक 8, 1891

No. 371] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 1969/KATIKA 8, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September 1969

S.O. 4435.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby notifies the Seed Testing Laboratory, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, as the Central Seed Laboratory under the said Act, with effect from first day of October, 1969, for the whole of India.

[No. 7(56)/69-Seeds Dev.]

SARAN SINGH, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 1969

एस० ओ० 4436.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार बीज परीक्षण प्रयोगशाला, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को एतद्द्वारा पहली अक्तूबर, 1969 से समस्त भारत के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला अधिघोषित करती है ।

[संख्या एफ० 7(56)/69-एस० बी०]

शरण सिंह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969